220 के वी (डबल सरकट लाईन) का मनाली से नालागढ तक का गैर तकनीकी सारांश ।

अ) परिचयः-

1. ऐ डी हाईड्रो पावर लिमिटेड, बिलवाडा समुह कम्पनी के रूप में सन्दर्भित (जिसे ऐ डी एच पी एल कहा गया है)तहसील मनाली जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी की सहायक नदियां जो कि ऐलाईन और दुहांगन है, पर 192 मे वा (2 ग 96 एम वी) पन बिजली उत्पादन सुविधा पर पन बिजली परियोजना स्थापित कर रहा है ।

2. पन बिजली (पैदा) उतपादित करने के लिए 174.7 कि मी लम्बी 220 के वी डबल सरकट विघुत परिक्षण लाईन की योजना सुनियोचित की गई है ।

3. यह रिपोट प्रस्तावित टांसमिशन लाईन के पर्यवरण और सामाजिक पभाव आंकलन (इ एस आई ए) के मुल्यांकन करने के इरादे से बनाई गई है ।

4. प्रर्यावरण एंव समाजिक प्रभाव की पहचान पर और ृमन उपाये विचार विमर्श के आधार पर इस परियोजना को श्रेणी ब में श्रेणी बदद् किया है । बी श्रेणी की परियोजना वह है जो आम तौर पर विशि-ट साईट जो कि मात्रा में कम है, सम्भवतः सीमित प्रतिकूल सामाजिक व प्र्यावर्णीय प्रभाव डालता है । ओर बडी संखया में पलटवा को ृमन उपाये के रूप में सम्बोदित किया है ।

ब बृतान्त ट्रान्समिशन लाईन (बिजली भेजने का रूप)

5. प्रस्तावित पारे-ाण लाईन बिजली उत्पादन सुविधा दक्षिण पूर्व मनाली से 3 कि मी की दूरी पर स्थित प्रीणी गांव में बिजली उत्पादन सुविधा के स्वीच यार्ड से ाुरू हाते हुए और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर तथा सोलन जिले से गुजरती हुई नालागढ उप स्टेशन के पावार ग्रीड कोरपोरेशन ऑफ इनडिया लिमिटैड पर समाप्त होती है । प्रस्तावित पार-ाण लाईन को नीचे के मानचित्र के आंकडों में दिखाया गया है ।

उपरोक्त लाईन बिछाने की जरूरत व उदेश्य ।

स जरूरते और अदेश्य

6. इस इ एस आई ऐ का अदेश्य :-

विभिन्न पर्यावर्णियो और समाजिक प्रभावों से सम्बन्धित, एसी गतिविधियां जो ऐ डी एच पी एल द्वारा ट्रांस मिशन लाईन बिछाने के लिए सुनियोजित की गई है, को दस्तावेज करना ।

ट्रांस मिशन लाईन को नियोजित करने के लिए अनुदान सस्थाओं (अन्तररा-ट्रीय वित प्रबन्धन (आई एफ सी) और इक्वेटर संस्थान अनुदान संस्था (ई पी एफ आई एस)) के पर्यावर्णिय और समाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए, पर्यावर्णिय और सममामजिक प्रबन्धन रणतिति, विधी और प्रक्रिया को उजागर करना ।

ड परियोजना विवरणः-

7. यह दस्तावेज सामाजिक कृया को ध्यान में रखते हुए ऐ डी एच पी एल ट्रान्समिशन लाईन और इसके द्वारा यह दिखाना उचित है कि वातावरण व

सामाजिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो कार्य ट्रासमिशन लाईन रूट के साथ किया जाना है वह पर्यावारण सामाजिक सुधार को लेकर किया जायेगा ।

ऐ डी एच पी एल ने जो ट्रांसमीशन का मार्ग तय किया है वह पूर्ण सर्वेक्षण व उसमे अमल आने वाले उवरूध करने वाले व फाईदे पुहुचाने वाले तथ्य को सामने रख कर किया है । इसलिए इस ट्रांसमिशन लाईन का मार्ग तीन भागों में बांटा गया है । पहला भाग प्रीणी से पनारसा (57.7 कि मी), दुसारा मार्ग पनारसा से डेहर (71.6 मि मी) तीसरा मार्ग डेहर से नालागढ (45.9 कि मी) का है । बिघुत लाईन का रास्ता पहले चरण में वर्फानी इलाका (स्नो जौन) जो कि प्रीणी से पनारसा तक है । व दृतिय व तीसरा परारसा तथा नालागढ है, जो कि बर्फानी न (नोन स्नो जौन)है, में विभाजित किया गया है ।

8. इस विद्युत लाईन मे दो स्विचिंग सटेशन होंगे एक प्रीणी दूसरा नालागढ में है । पहल सविंचिंग स्टेशन पावर स्टेशन को बन्द करने के लिए प्रीणी में तथा दूसरा उप स्टेशन पी जी सी आई एल को बन्द करने के लिए नालागढ में बनाया जायेगा ।

9. बी एस आई की आवश्यक्ता के अनुसार पारे-ाण लाइन की मध्य रेखा के 17.5 मी के दाना पक्षो पर प्रस्ताव करने को अधिकार है । इन गलियारो के 611.31 हैक्टर के क्षेत्र मे कवर किया जाएगा जिसम 390.3 हैक्टर

निजि भूमि और 1500 से 2000 परियोजना प्रभावित लागों को ृाामिल किया जायेगा ।

10. टावरों के निर्माण लाइन सामग्री, नीव के निर्माण आदि में प्रयोग होने वाल डिजाईन निमार्ण, परिक्षम निर्माण प्रक्रिया और समग्री आदि भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय विघुत अधिनियम और बिजली नियम और वैधानिक मंजूरी के अपुरूप होना चाहिए ।

ड.1 पारे-ाण लाईन का निर्माण ।

11. 580 टावरों का अनुमान जिसमे ट्रास मिशन लाईन का 174.7 किला मीटर का मार्ग, नियुन्तम और अधिक्तम दूरी 60 मीटर से 960 मीटर होगी व औसतन दूरी 302 मीटर के आसपास है ।

12. ट्रांस मिशन लाइन के टावरों के निमार्ण के लिए डिजाईन के अनुसार लकडी को खुंटों के साथ चिनहित किया जाता है । नीब को भूमि स्थिति के आधार पर 3"3"3 मीटर गहरा खोदा जायेगा। यह क्षेत्र इस क्षेत्र को स्थलाकृति के आधार पर भिन्न कर सकते है ।

13. फोम वर्क, रिइनफोरसिंग सलाखे, टावरों के एमवेडाडिड भाग और किसी भी ग्राउंडिंग तत्वो को गडढे मे रखा जायेगा । पूर्व ठोस बल मोटी

50 मि मी सीमेन्ट (पी सी सी) पैड बुनियाद के आधार पर निधार्रित किया जाता है । कास्टिग 40 से 50 कार्यकर्ता के द्वारा किया जाता है

14. टावरो के निर्माण कांक्रीट मिक्षण के लिए 80 से 100 वर्ग मीटर की कांक्रीट 6 वर्ग मीटर पनी की आवश्यक्ता होती है । पानी की आवश्यक्ता को स्थानिय टैंकरों से पूरा किया जाता है ।

15. खम्बा खडा करने के लिए कम से कम 3 दिन का समय लगेगा व उसमे 25 से 30 मजदूर काम करेंगे व यह हाथों के द्वारा काम होगा पर, इसके सारे पूर्जे पहले से बने हुए होंगे जो कि जोडे जाते हैं ।

16. दो खम्बों के मध्य तार बिछाने का काम दो से चार दिन में 50 मजदूरों से करायाजायगा और तार भूमि पर पहले बिछाई जायेगी फिर कन्डक्टर को खम्बो पर चढ़ाया जायेगा ।

17. टावरों के निर्माण के लिए सामग्री जिसमें कन्डक्टर और इन्सूलेटर ृाामिल है, को नालागड, सुन्दरनगर और भुन्तर के यार्ड मे में रखा गया है और वहां से ठेकेदारो को सीधे टावर साईट के लिए वित्रीत किया जायेगा ।

कार्य व रख रखाब

18. ट्रासमिशन की कन्मीशनिंग में 220 के वी पावर नालागढ उप स्टेशन से ऐ डी एच पी एल स्विच यार्ड प्रीणी को बापसी चार्ज की जायेगी । यह ऐ डी

एच पी एल में विघत जैनरेटर को सिंकरोनाईज करने में मदद करेगी । यदि एक बार यह ट्रांस मिशन लाईन 220 के वी बिघुत संचारण प्रीणी के स्विच यार्ड को ुरू करेगी तो यह स्विच यार्ड प्रीणी से नालागढ को बिजल पहुचाना ुरू कर देगी ।

19. ऐ डी एच पी एल ट्रांस मिशन लाईन के लिए एक निवारक, नियमित रख रखाब और निगरानी कार्यक्रम करेगा और ट्रांस मिशन लाईन के परिचालन चरण के दौरान किसी भी टूट फूट के लिए उपाये का पालन करेगा ।

ड 3 परियोजना अनुसूची

20. निर्माण गतिविधियों को पहले से ही ुरू किया जा चुका है और इस परियोजना को अप्रैल 2009 के अन्त तक चालू हो जाने के आशा है ।

ड 4 प्रदू-ण स्त्रोत और नियन्त्रण उपाये ।

21. निर्माण मतिविधियां जिसमें उत्सर्जन और उत्खनन परियोजना, वाहन आन्दोलन और नीव की डलाई से बरवाद मलवे की भगौडा धूल से प्रदू-ण होने की उम्मीद है । टावरो के निमार्ण सम्बन्धी गतिविधियों के कारण बस्तीयों में गडबडी होने की सम्भावना है ।

22. औपरेशन के दौरान ाक्ति के संचालन के कारण विघुत चुम्बकिय क्षेत्र और कुछ ोर का उत्पादन होगा ।

23. सुझाव के लागू करने से धूल उत्पादन, बेकार मलवे और अन्य प्रतिकूल प्रभावों को निपटाया जा सकेगा ।

ड 5 समाजिक मुददे पर प्रबन्ध

24. समुदाय में सट्रीगिंग मतिविधियों के कारण होने वाले आपत्ती, फसल के पुक्सान और कृ-ी पर पडने वाले प्रभाव पर मुददा उठाया है । समुदायय को भी विघुत चुम्बकीय क्षत्र के सम्भावित प्रदर्शन के बारे में परियोजना के प्रचालन चरण के दौरान स्थानिय लाभ और आशंका के इलावा अन्य अवसरों की उम्मीद थी ।

25. कथित रूप से, परियोजना इस समुदाय के साथ वार्ता के माध्यम से मुआबजे के भुगतान की प्रकृया में है । भूमि उपयोग व वार्ता और समक्षौता अस्थाई मुल्यांकन द्विपक्षिय समझौते के आधार पर किया गया है । प्रतिकूल प्रभाव के लिए परियोजना ने सब मलियारों के साथ सुरक्षित दूरी बनाये रखने और ृामन के लिए सुनिचित योजना बनाई है । यहा पर एक शिकायत निवारण तन्त्र है जो सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति और समुदाय की शियतों को ठीक डंग से सम्भाला जा राह ळै और समय पर और उचित तरिके से सम्बोदित किया जा रहा है ।

ड 6 जोखित व सुरक्षा उपाय

26. सचरण लाईन के निमार्ण में सुरक्षा के मुददे ृाामिल हैं, जैसे परची ट्रीप खतरा, टावर निमार्ण के दौरान गिरने का खतरा, ब्यपारिक खतरे और पहाडी क्षेत्र में बाहनों की आवा जाही से सडक दुर्घटना के खतरे ।

27. परियोजना के कार्य में विघुत झटके व लाइनों के सम्पर्क के कारण ृाारिरिक ृातरा और पारेक्षण लाइन के खतरे या टावर संरचना की गिरावट के फल स्वरूप टावर संश्चना विफलता के खतरे ृाामिल हैं ।

28. ऐ डी एच पी एल स्टाफ और ठेकेदारों को स्थल में उपयोग हाने वाले सुरक्षा उपकरण निर्माण गतिविधियों के प्रारम्भ से पहले अनिवार्य सुरक्षा और एतिहात के बारे में प्रशिक्षित किया जायेगा । टावर निर्माण के दौरान कार्य कर्ताओं के लिए सुरक्ष कवछ सुनिश्चित किया जायेगा ।

29. यह सब ऐ डी एच पी एल के ठेकेदारों को इरेक्शन और टावर निर्माण के लिए कर्म कार प्रतिकर अधिनियम 1923 और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

30. ओपरोशन के दौरान आम जनता के लिए जन जागरूक्ता और शिक्षा भौतिक उपयों के साथ प्रत्येक टावर के चेहरे पर उपयुक्त चेतावनी (दिशा निर्देश) से जोखित कम हो जायेगा ।

फ पर्यवर्णीय आधार भूत ।

31. तलरूपता कुल्लू के कम हिमालय क्षेत्रों से लेकर सोलन के मैदानी रासते तक, भिन्न है । इस मार्ग के अधिकांश भागों में पहाडी इलाके का पालन करें । ट्रासमिशन लाईन के मार्ग के साथ जलवायू शिवालिक के प्रतिकम हिमालय से उचाई में परिवर्तन के साथ बदलता रहता है । समान्यता तीन सतरों में प्रचलित है । मार्ग के क्षेत्र अर्थात ीतकालीन सतर (अक्तूर से मार्च), गर्मी के मौसम (अप्रैल से जून तक), और बरसात का मौसम (जुलाई से सितम्बर तक है) । ब्यास नदी और पार्वति के उपरी खण्ड और मण्डी में सतलूज नदी ट्रांस मिशन के डेनेज मार्ग को नियन्त्रीत करते है । ट्रांसमिशन लाईन के साथ पर्वतिय प्रकार के उपरी क्षेत्र में (रेतीली चिकनी बलूई मिटटी) और बीच में पर्वतीय मिटटी (सिलटी लूम)चिकनी बुलई मिटटी, निचले क्षेत्र में मिटटी उपजाता है । मिटटी के नमूने के पी एच 5.9 (अम्लीय मध्यम)से 8.2 (बुनियादी मध्यम)से भिन्न है ।

32. ब्यापक वायु गुण्वर्ता को विशे-ा मामलों में सम्बन्धित ऑकसाईड, नाईट्र डाइआक्साईड, कार्बन मोनोआक्साईड और हाइड्रो कार्बन के अध्ययन क्षेत्र के लिए निर्धारित की गई सीमां के भीतर ग्रामीण और ाहरी क्षेत्रों में पाया गया । इसके इलावा सुन्दर नगर के निकट एक स्थान पर स्थापित करने पर आवासियो के लिए निलम्भित पाया गया ।

33. जल गुणवता 10 स्थानों पर रवाईनिक, भौतिक और जीवाणू विज्ञार सम्बन्धी मान दण्डों के लिए मुल्यांकन किया गया । एकत्रीत किये गये पानी के नमूने में घुलनशील ऑक्सीजन का स्तर अच्छा था जबकि जैव रसायनिक

ऑक्सीजन का भाग कम पाया गया हालांकी उपयोग के लिए अनुप्युक्त प्रतिपादन कम था ।

34. आवासिय क्षेत्र के लिए दिन के समय में सन्तूलिय स्तर ाोर स्तर 54.6 से 59.2 डी बी के रूप में और रात के समय 47.3 से 49.7 डी बी से भिन्न है । दिन और रात के समय के दौरान मामूली उच्च ाोर का स्तर ब्यास नदी के आस पास के क्षेत्र और रा-ट्रिय राज मार्ग पर यातायात के कारण है ।

35. पारिस्थितिक सरवेक्षणो के संचरण लाईन के दोनो परफ सौ मीटर के भीतर किया गया ट्रासमिशन लाईन का कुल खिंचवा 3 पारिस्थितिक क्षेत्रो में है शिपो-ण वन क्षेत्र (मनाली से पनारसा)मध्यम पर्वितिय वन क्षेत्र (पनारसा से डेहर) और निचले पर्वतीय क्षेत्र (डेहर से नालगड)लाइन अन्य 11 संशोधित वन के माध्यम से घोशित वन भूमि गुजरती है । वन्य जीव अधिनियम के पक्षी और स्तन पाई प्रजतातियां, 8 प्रजातियां प्रत्येक पक्षियों और स्तन धारियों में गिरावट जो कि अनुसूचि 1 और एक प्रजाती पक्षी और 5 प्रजती स्तन धारियों की अनुसूचि 2 में आति है ।

36. बिजली की लाईन 4 जिलों कुल्लू, मण्डी, बिलासपुर, सोलन से गुजरती है । और यह सभी जिले ग्रामीण क्षेत्र के है । व्लाक व जिला अधिकारियों से बातचीत व वार्तालाप किया गया व पाया गया कि काई भी घनी आवादी वाला इलाका लाईन के नीचे नहीं पाया गया। इसी तरह कोई भी कल्चरल,धार्मिक,

पुरातन व संरक्षित इमारते न पाई गई । और यह रिर्पोट ग्रमीणो, पंचायत के प्रतिनिधियों व प्रोजेक्ट के कार्यकर्ता से वार्तालाप के समय भी न पाई ।

37. प्रोजैक्ट को कार्य़क्षेत्र में प्रभावित परिवारों / ग्रामीणों के, कृ-ाी व बागवानी ही दो प्रकार के आये के मुख्य साधन है । ज्यादातर ग्रमीणी लोग कृ-ाि व बागीचो पर ही निर्भर है । परन्तू बढती हुई पर्यटकों को आवाजाही, अद्योगों का लगना व ठेकेदारी, दुकाने, गेस्ट हाउसए रखरखाब संस्थान जैसे क्षेत्रों की धीमी परन्तू आये के साधन बढाने के लिए बडौतरी पाई जा रही है और कारावारी गतिविधियों में बदलाव भी हो रहा है ।

38. आमदनी का साधन चारो जिलों में जहां से लाईन गुरती है उसमे भिन्नता है क्योंकि ये सभी मौसम, स्थान, सिंचाई के साधन, बाजार, उधार खात जैसे प्रतिबिम्भो पर निर्भर है । जबकि नकदी फसले जैसे सेब, नाश्पति, अनार व सबजियां अच्छा पैसा देती है (जो कि उत्पादन व मौसम पर निर्भर है), पहाडों पर फसले जैसे की गेहू, मक्की, सरसों, दाले आदि की पैदावार नगदी फसलों के मुकाबले कम है । जनता के आय के साधन भी कारोबार नोकरी व श्रम आदि से बडे है ।

ज प्रभाव आंकलन

39. ज्यादातर विद्युत लाईन के लगाने से जो पभाव पडेगा निम्न है :-

टावर की खुदाई, लगाते समय व तार डालते समय,जो दुशप्रभाव पडेगा वह ज्यादातर थ्सवतं ंदक थ्नदंए यातायात, ध्वनी प्रदू-ाण, सुरक्षा नियम और मलवा हठाने से होगा ।

भूमि पर नियन्त्रीत आवो जाही और फसलों का नुक्सान ही केवल एक सामाजिक आय का नुक्सान होगा ।

ऑपरेशन चरण में वनस्पति में गडबडी और ृोर ृाामिल है । गलियारे की गतिविधियां उम्मीद प्रबन्धन और विघुत चुम्बकीय क्षेत्र उत्पादन की धारणा से समाजिक प्रभाव होंगे ।

40. पर्यावरण और सामाजिक व्यसस्था में प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने पर विचार विमर्-ा कर रहे हैं ।

ह उपचार के लिए दूसरा उपाये

41. दो प्रकार से इसके उपचार के लिए उपाये सुलझाये गये जो कि विद्युत लाईन का दूसरे रास्ते ले जाने व दूसरा भूमिगत तारे बिछाना परन्तू भूमिगत तारे बिछना भूमि की निचाई व उचाई देखते व खर्चे में बडोतरी के कारण सम्भव न है । और वाशिन्दों और जंगलों से लाईन बिछाने का प्रावधान किया गया है ।

42. इसलिए टावर की उचाई बढाई गई है व उसमें बदलाब भी किये गये है तांकि वाशिन्दगान को उस रास्ते में आने जाने में काई कठिनाई न आये और किसी मकान क गांव के उपर से न गुजरना पडे ।

प्रदू-ाण समाजिक रख रखाब व देखभाल का खाका ।

43. ई एस एम पी द्वारा निर्धारित की गई तकनीक व उर्जा के दूशप्रभाव को रोकने के लिए ठेकेदारों को उचित प्रकार का गुणवता रखने के लिए आदेश देना व समय समय पर उसका निरिक्षण व रखरखाब करना ताकि वातावर्ण व समाजिक गतिविधियों पर दूशप्रभाव कम से कम पडे ।

44. निरिक्षण की प्रक्रिया के द्वारा ठेकेदार की कार्य प्रक्रिय को ऐ डी एच पी एल करेगा तां कि ठेकेदार सभी प्रकार की ृार्ते जैसा कि वन विभाग से अनापत्ती प्राप्त करना व किसी दूसरे विभाग से रजामन्दी प्राप्त करना, करेगा ।

45. ए डी एच पी एल के अनुभवी सदस्यगण हर प्रकार का निरिक्षण व लेखा जोखा करेगे, जिसके लिए, वतावर्ण स्वास्थय,सुरक्षा समाजिक विभाग (ई एच एस ऐन्ड एस विभाग) से समय समय पर पुर्नविचार वाहिया ऐजेन्सी व विशे-ाज्ञ से करवायेगे व उपरोक्त कार्यवाही लिखित रूप में होगी और निरिक्षण व लेखा जोखा रखा जायेगा । यह लेखा जोखा व निरिक्षण की कार्यवाही ठेकेदारों को अपने अपने कार्यक्षेत्र में लागू करनी होगी ।

46. ऐ डी एच पी एल ने हिमाचल प्रदेश की जानी मानी एन जी ओ लोक कल्याण मण्डल के सदस्यों को नियुक्त किया तां कि वह देख तथा समझ सकें की ई एस आई ए का कार्यनिवित हुआ य नहीं ।

47. विद्युत लाईन के दौरान निर्माण की कार्यवाही तथा गतिवधियों के प्रभाव की जिम्मेबारी जो कि पर्यवर्ण व समाजिक विभाग कम करने बारे कदम उठाने हैं जो कि तालिका नम्बर 1 में दर्शाये गये हैं ।

सूची नम्बर 1 220 के वी बिजली पारग्मन तार प्रस्ताव समाजिक और वातावरण कार्य योजना के अन्तरगत ।

नम्बर	रूप	असर	ृामन सुझाव	देख रेख और जागरूक्ता	प्रन्धक दाईतव
	सूचना परिवर्तन की स्थिति				
अ	सर्व साधारण	पहले से नक्शा या योजना बनाना	सूचना ठेकेदार द्वारा बिजली पारग्मन तार का एक विस्त्रित विवरण रेखा चित्र विकसित करना	काम ृारू होने से पहले मजदूरों को उचित वातावरण निकास जिममे मलिनत सियन्त्रण और भूमी प्रबन्ध जैसी बातो के बारे में संक्षिप्त वर्णन दे । ई एस आई ऐ के निरिक्षण एवं पथ पर्दशन के लिए ऐ डी पी एल द्वारा हिमाचल प्रदेश के एक प्रसिदध एन जी ओ (लोक कल्याण मण्डल) को ब्यस्त किया गया है	
2.1	भूमी लेना/प्रयोग का अधिकार	भूमि की प्रयोग कुछ स्थाई सुगमता जैसो की स्थापना आदि के लिए किया जा सकता है । अभी भूमि को प्रयोग करने के लिए जो रूकावटें	क्षति पूर्ती के लिए जो आपसी बात चीत है बे सुनिश्चित मुफत जायज हो । इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि क्षति पूर्ती का मुल्य बजार मुल्य के	भूमी के मालिको ऐ डी एच पी एल के लाईजन ऑफिसर द्वारा दिये जाने वाल क्षति पूर्ती दर के बारे मे पूरी जानकारी हो	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार लाईजन ऑफिसर लोकल प्रशासन

		आ रही है उनकी पूर्ती हो रही है भूमि की दरों के बारे में आपसी बातचीत से सहमति दी जाती है	हिसाब से दिया जाये इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेसी भूमि का कुल्य का ध्यान क्षति पूर्ती के वक्त रखना चाहिए		
2.2		कभी हमें कुछ निश्चित जरूरतों का भी ध्यान रखना है जिनकी बजह से वास्तविक रूप रेखा मे हमें कुछ परिवबर्तन करना पडे	भमि मालिकों को बदलाव के बारे में सूचित करना जो भूमि नहीं चाहिए उसे छाटने कें बाद भूमि मालिकों के लिए छोड देना ।	टावर के लिए जगह चुन्ने से पहले एक अन्तिम जांच पडताल की जाये	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर

सूची नम्बर 1 220 के वी बिजली पारग्मन तार प्रस्ताव समाजिक और वातावरण कार्य योजना के अन्तरगत ।

3.1	प्रयोग का अधिकार तारों वाला	फसल / बाग और पूंजी नुक्सान (अभि तक फसलों, बागीचों, आय और पूंजी जैसे कि पेड आदि के मुल्यांकन के लिए एक रूपता नहीं है कुछ जगहों पर यह बागवानी मुल्यों पर तथा कुछ जगहों पर यह आपसी बातचीत द्वारा तय की जाती है ।	फसलों, बाग बगीचों और बाकी पूंजी के लिए प्रतिस्थापन मुल्य तय किये जाये । इन सब का मुल्यांकन करते समय एक रूप कार्यवाही और तरीका सूनिश्चित किया जाये	किसी तीसरी स्वतन्त्र पार्टी की राय भी प्रतिस्थापन मुल्यांकन के लिए ली जा सकती है	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर लोकल प्रशासन
4.1	क्षति पूर्ती के बारे में अवगत करवाना	क्षति पूर्ती के बारे में अवगत करवाना (अभी तक पा आ प के भूमि के कर निर्धारण के ढंग के बारे में तथा पूंजी के मुल्य के बारे में	क्षति पूर्ती दर तथा कुल क्षति पूर्ती दर जो कि प आ प को देनी है निश्चित जानकारी द्वारा बताई जाती है । प आ प को पहले से ही क्षति	किस तरह से अलग तरह की फसलों की दरों की गणना लेनी है व लाईजन अफसर बनाता है और प आ प को इस बारे में बताता है	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर

		आपसी बात चीत के समय या फिर भुग्तान के समय अवगत करवाया जाता है ।	पूर्ती दर तथा उसके भुगतान के तरीके से अवगत करवाया जाता है		
5.1	पहुंच	कभी ऐक व्यक्ति का फिर कभी सम्प्रदाये द्वारा बनाने के समय पहुंच में कुछ खनन हो सकता है । कभी जब वहां तक पहुंचने वाले रास्ते क्षति ग्रस्त हो, उन्हे जरूरत से ज्यादा प्रयोग किया हो और फिर निर्माण ओर यातायात से सम्बन्धित कारणों की बजह से	प्रोजैक्ट के कायों के लिए सम्प्रदाये या गांव के रास्ते प्रयोग न करें । उनही जगह नये रास्ते बनाये व प्रयोग किये जाये । सारे पहुंचने बाले रास्तों को अच्छे से फिर से नये रूप से बनाया जाये प्रयोग करने के बाद । इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि ठेकेदार व प आ प द्वारा तय किया गया क्षति पूर्ती मुल्ये	लोकल प्रशासन और अन्य अफसरों से भी पहले से ही यातायात और उसकी बजह से बहां पहुंच के बारे में पहले से अनुमति लेनी चाहिए । निर्माण ठेकेदारों तथा गाडी चालकों पर देख रेख रखनी चाहिए ।	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार लाईजन ऑफिसर लोकल प्रशासन निर्माण ठेकेदार लोकल प्रशासन न ही अ ई प्रादेशिक दफतर जंगल विभाग

			काफी हो और वक्त में भर दिया जाये । अगर भूमि मालिक के खेतों तक पहुचने वाले मार्ग में ज्यादा वक्त तक मुश्किल रहे तो उसे उसके नुक्सान की भरपाई मौजूद दरों पर करनी चाहिए ।		
6.1	सम्प्रदाय और निजी सम्पति	सम्प्रदाये की निजी/ एकल सम्पति को निर्माण के समय क्षति पहुचना । प्रोजैक्ट अधिकारियों द्वारा अध्ययन करने के बाद निजि तथा सम्प्रदाय सम्पति को कतार गलियारा	इस बात का ध्यान रखा जाये कि किसी की तरफ की सम्पति का प्रयोग न किया जाए और अगर हो भ्ज्ञी तो इसके लिए अनुमति ले जाए । कोई भी अनदेखे प्रयोग या फिर क्षति	ऐसी सभी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए व काबू पाने के लिए क-ट निवारण तरीकों को अपनाना चाहिए । और यह सब पहले से ठेकेदार के साथ तय कर ली जानी चाहिए	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर निर्माण ठेकेदार लोकल प्रशासन

		पारगमन मे दूर रखा गया है फिर भी अगर इसका प्रयोग हुआ है तो क्षति पूर्ती दर को आपसी बातचीत द्वारा क्षति पूर्ती मात्रा में जोडा जाता है ।	ग्रस्त किसी भी सम्पति को इमारत को हो तो उसे तूरन्त पूरा किया जाएं ।		

7.1	लोकल सुविधाये और भीतरी निर्माण	निमार्ण गतिविधियों के लिए लोकल संचित कोश का प्रयोग होने की बजह से लोकल भीतरी निर्माण दवाब में आ जाता है । जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे होते हैं वह गांव के आस पास ही रहते हैं । वह मकान मालिक से अगर (वह किराये पर रह रहे है) बातचीत करने के मकान का किराया तय करते है और लोकल सुविधाये जैसे कि पानी आदी का प्रयोग करते है ।	ठेके के वक्त यह निश्चित कर ली जानी चाहिए कि मजदूर नरात्मक रूप से आस पास के लोगों को कोई असुविधा न पहुचाये । मजदूरों द्वारा घर के मालिक से जो बाते तय हुई हैं उनका मान रखा जाये । मजदूरों के व्यवहार तथा काम करने के तरीके पर भी ध्यान देना चाहिए जिससे उन्हे कोई सामाजिक या मान्सिक हानी न हो ।	क-ट निवारण तरीकों से ऐसी सभी मतिविधियों पर नजरए रखनी चाहिए और यह सभी ठेकेदार के साथ बातचीत में तय की जानी चाहिए लिखित रूप में	प्रशासन नेतृत्व / भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर निर्माण ठेकेदार लोकल प्रशासन
8.1	सम्प्रदाय पर असर	कुछ समय के लिये भी	मजदूरों को भारतीय	प्रति हफते निमार्ण जगहों की जांच	प्रशासन नेतृत्व /

		मजदूर की उपस्थिति की बजह से कोई लोकल लडाई हो सकती है । कई बार कुछ गुप्त पारगमन रोग का जन समुह पर बुरा असर हो सकता है ।	कानूनी नियमो, अन्तरा-ट्रीय परंपराओं, काम करने के नियम, सामुहिक मोल भाव, भेद भाव और बराबर के मौके, शिकईत के तरीके, कार्य, सहेत और सुरक्षा इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए ।	की जाये	भूमि / कतार इार्लजन ऑफिसर निर्माण ठेकेदार लोकल प्रशासन
9.1	सम्प्रदाये से आशाएं	लोकल सम्प्रदाये से लोकल लाभ और बाकी मौकों के बारे में क्या आशाये हैं यह भी बताई जानी चाहिए । ए डी एच पी एल ने कई जगहों पर लोकल सम्प्रदाये को निर्माण ठेके दे कर मदद की	जिन लोंगों के भूमि के टुकडे पर असर होगा उन्हे अन्य ठेके रोजगार के मौंके देना इन में से कुछ निर्माण अवधी तक तथा कुछ लम्बे समय तक चल सकते हैं । रोजगार के मौके	लोग सम्प्रदाये मे से ऐ डी एच पी एल द्वारा इश्तहार द्वारा उपयोग मजदूरों को चयन किया जाये । ऐ डी एच पी एल द्वारा मजदूरों को निश्चित हुनर के बारे में बता कर उनकी अनचाही आशाओं को हटाया जा सके ।	नेतृत्व (एच आर और स्टोर)

		है और कई बार जिला को-ा द्वारा पंचायत /प्रशासन के आग्रह पर राहत राशी भी दी गई है ।	तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम देकर सहायता किए जाने से सम्बन्धित सूचना देना । सहायता प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी ढंग होना चहिए । उन लोगों को ज्यादा महत्व देना चाहिए जो की आगे बढ़ना चाहते हैं । जिनके पास छोटी भूमि इकाईयां है । क्योंकि रोजगार के मौके सीमित है इसलिए कुछ अन्य तरीके जैसे की लोग भीतरी निर्माण को बढावा, सामाजिक कल्याण, कुछ ऐसे		

			कार्य कर्म बनाये जाये जो लोकल और जिले के विकास में काम आये जैसे रोजगार, खेतीवाडी आदि ।		
10.1	सामाजिक हैरीटेज	समाजिक और धार्मिक में प्रोजैट द्वारा असर हो सकता है (ऐ डी एच पी एल द्वारा किसी तरह का भी असर न हो इस बात का ध्यान पारगमन कतार गलियारा में रखा गया है ।	सभी सामाजिक इमारतों या जकहों का नक्शा तैयार करना तांकि निर्माण ाुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाये कि उन्हे कोई नुक्सान न हो । रा-ट्रीय कानून और अन्तरा-ट्रीय आभार को को ध्यान में रख कर कार्य करना	धार्मिक और सामाजिक जगहो पर हर हफते होने वाली गतिविधियों पर नजर रखना	निर्माण ठेकेदार इार्लजन ऑफिसर
11.1	मिटटी कटाव और गुट बन्दी (जो	निर्माण पदार्थ को निर्माण प्रोजैक्ट के	निर्माण का कार्य बारसात के इलावा	ऐ डी एच पी एल के कर्मचारी हर हफते निर्माण जगहों पर जा कर	ऐ डी एच पी एल ठेके में निर्माण

	पदार्थ नहीं चाहिए उसे अभी आस पास के क्षेत्र या फिर निर्माण ठेकेदार द्वारा लिखे जाने वाले क्षेत्र में फैका जाता है ।	सामने फैकना	किसी भी मौसम में करें ता कि कटाव द्वारा होने वाले गुप्त नुक्सान को रोका जा सके । सारे निर्माण पदार्थ की निर्माण वाली जगह के अन्तरगर रखा जाये हवा द्वारा खुले पडे पिर्माणण पदार्थ को बचाने के लिए उसे ढक कर रखना चाहिए । किसी और प्राजैक्ट की जगह पर जाने से पहले, बाली जगह को ठीक से बन्द करना चाहिए । जितना हो सके पहले से बनाये गये रास्ते	वहां होने वाली हर गतिविधी पर ध्यान देगा ।	ठेकेदार के पास लिखित रूप में होना चाहिए । फेस मैनेजन निम्यकरम देख रेख का इाईतव लेगा ।

			का प्रयोग ही करें । सामान और मजदूरों को ले जाने के लिए		
11.2		निर्माण पदार्थ और एलुमिनियम ऑकसाईड संग की बजह से मिटटी में मिलावट	निर्माण पदार्थ्र व रंग को अच्छे से संचय करना । किसी भी ऐसी कृया जिसमें रंग होना हो एक बडा सा कपडझ इमारत के नीचे बिछा ले । रोज चाली बोरियों, डिब्बे आदि को बेच कर हटा दे । अगर इस सब के बाबजूद भी कुछ गन्द गिर जाये तो उसे भी हटा दे ।		
11.3		निर्माण की बजह से मलवा इकटठा होना जो गलियारा में गन्द	रोज के इकटठे हुए मलवे वो साथ ही साथ रोज हठा दे ।	इमारत की एक बार जांच जरूर की जाये तांकि इससे पता लगता रहे कि बनाने से लेकर पदार्थ को	सब टेकेदारों का हिस्सा होना और ऐ डी एच पल एल

		फैलता है	और काम खतम होने पर उस जगह को अच्छे से साफ कर दे । मलवे को निर्माण वाले जगह के भीतर ही रखे । अगर किसी पानी वाली जगह के आस पास निर्माण हो रहा है तो पानी में मिलावट न हो इस बात का ध्यान रखे ।	संचय करने तक और निकाली गई मिटटी को सही रूप से साफ किया जा रहा है या नहीं	द्वारा जांच होना । फेस मैनेजर द्वारा नित्य करम देख रेख ।
12.2	भूमि का प्रयोग और खेती वाडी	भूमि प्रयोग और खेती वाडी को हानी । उपजी फसल को नुक्सान । ठावर के नीचे सीमित पहंच होना । निचे मजदूरों की बजह	पाइइन्स को पहले से उपस्थित जगहो पर लगाना ता कि कोई वाधा ना आये । सरहद या वाधाये बनाने तां की टैक्टर या मजदूर खेतो में	सारी गतिविधियो को ऐ डी एच पी एल द्वारा देखना चाहिए ता कि कम से कम नुक्सान हो । निर्माण मजदूरों को उनके दायरों के बारे में पता होना चाहिए । ऐ डी एच पी एल द्वारा नियन्त्रण बनाये रखना चाहिए ।	फेस मेनेजर देख रेख का कार्य सम्भाले ।

		से फसल को नुक्सान ।	न घुस जाये । टैक्टर औजार और कर्मचारी एक निश्चित रास्ते से ही जायेगे तां की वह आपास के क्षेत्र में फालतू न भटके । निमार्ण सफाई का कार्य उतने क्षेत्र मे ही हो जितनी जरूरत है । निर्माण के कार्य को सेब के मौसम में नही करके कोशि-ा करनी चाहिए कि किसी और मौसम मे हो ।		
13.1	ठकोलोजी (वातावरण)	आसपास की सजावट में कमी । पेडों को नुक्सान । पेडों को तारों की	जंगल क्षेत्र में कार्य करने से पहले जंगल की कटाई करवा दे ।	मजदूरों को लोकल फसल के बारे में जानकारी दे दे तथा गुप्त नुक्सान में कमी लाना । ठेकेदारों और लोकल मजदूरो को	उप ठेकेदार के साथ ठेका करना । साईट सुपरवाईजर आस पास के फलों

		बजह से नुक्सान । जंगल क्षेत्र में मजदूरों की बजह से फूलो व जन्तू सजावट में कमी ।	फूलो को कम से कम नुक्सान पहुचाया जाये । निर्माण से पहले रास्ते को अच्छे से जांच कर ले । जितना हो सके पुराने पेडों को नुक्सान न पहुंचा कर खली स्थान का प्रयोग करे जिन क्षेत्रों में रास्ता न हो तो काई इन्य रास्ता न बनाये । मजदूरों को आसपास की साजसजा के बारे में शिक्षा दे । धुल, ृोर आदी पर काबू करने के लिए कुछ नियम बनाये ।	शिकार, मच्छली पकडने जैसी गतिविधियों पर पाबन्दी होना । लोकल दवाब को ध्यान में रखते हुए ऐ डी एच पी एल द्वारा रास्ते की सहमती दे ।	व जीवों का ध्यान रखे ।
14.1	व्यापार और	यातायात और व्यापार	जब भी हो सके	पारकिंग के समय लोकल लोगों को	फैस मैनेजर

	यातायात	मे बृद्धि	ट्रेक्टस और ट्रोली द्वारा सामान और कर्मचारी भेजे जाये । अच्छे और प्रशिकश्तिा ड्राईवर रखे जाये	कोई असुविधा न हो	
14.2		ट्रैफिक चाल में रूकावट	जहां पर अस्थाई रूप से रास्ता बन्द हो वहां पर गलियारे के आस पास ही कोई और दूसरा रास्ता बनाया जाये । निर्माण गाडियों को एक निश्चित गति से ही चलना चाहिए	सारी गाडियां जो कि निमार्ण क्षेत्र में हो उन्हे गति में चलना होगा । ड्राईवर को नौकरी पर रखने से पहले उनकी यातायात पर जानकारी के बारे में जाना जायेगा ।	साईट सुपरवाईजर
15.1	हवा की योग्यता/ आकाश समबन्धी जानकारी	धुल मिटटी उडना	सभी गाडियां जो मलवा ले जायेगी या फिर मिटटी रेत लेकर आयेगी वह ठकी होगी । 15 कि मी प्रति	ऐ डी एच ई पी द्वारा धुल आस पास के क्षेत्र में इकटटी न हीं इसका ध्यान रखा जाये ।	फेस मैनेजर

			घण्डे की गति पर सीमा बना कर कच्चे रास्ते पर चलना होगी । घूल वाले रास्ते पर पानी की छिडकाव करना ।		
16.1	̥ोर	निर्माण गतिविधियों से ̥ोर	भारी मशिनरी की जगह मजदूरो से काम करवाना । निर्माण को कार्य दिन के वक्त करना । निर्माण का कार्य एक क्रम में करना ।	उप ठेकेदारों के ठेके का भाग होना ।	ऐ डी एच पी एल द्वारा हर सूची समालोचला और सहमति देना ।
17.1	अधिक दुर्घटना का खतरा	गिरने या फिसलने की सम्भावना	लोगों को खतरे बाले फटटे लगा कर सतके करना	ऐ डी एच पी एल द्वारा खतरे वाले बोर्ड लगवाना । समय पर इसकी देख रेख करना ।	ठेकेदार के ठेके में लिखा होता है ।
17.2			तारे लगाने के समय पर मजदूरों को ट्रेनिंग देना और लोकल जन स्मुह को	ठेकेदार द्वारा ऐ डी एच ली एल की देख रेख में मजदूरों को ट्रेनिंग देना ।	लोकल जन स्मुह की सुरक्षा का दाईत्व ऐ डी एच पी एल और टेकेदार पर होता है

			आगाह करवाना ।		।
17.. 3			एक बारे तारे लग जाये तो उपर न चडने वाले यन्त्र ठावर पर लगाये जाये	ठावर का हर 6 महीने बाद निरिक्षण होना चाहिए ।	फेस मैनेजन
17.4		काम काजी खतरा	सुरक्षित योजनाये और सुरक्षित काम अपनाये । मजदूरों को सुरक्षित चशमे, दस्ताने, हैल्मैट हादी दे । मजदूरों को पहले से ही सुरक्षा सम्बन्धित जानकारी दे ।	इसके देखरेख के लिए एच पी एल सुपर वाईजर और ठेकेदार का दाईत्व है ।	साईट सुपर वाईजर और फेर मैनेजर ए डी एच पी एल के लिए ।
18.1	प्राकृमिक खतरा	टावर मे खराबी की बजह से सेहत काम का नुक्सान ।	टावर का डिजाईन इस तरह से होना चाहिए कि उसे आंधी, तुफान आदि की बजह से कम नुक्सान हो	ठेकेदार के ठेके का भाग होता है ।	अन्तिम डीजाईन ऐ डी एच पी एल द्वारा प्रतिस्थापित और सहमत होंगे ।

ठ व्यमतंजपवपद चैंम

कार्यक्रम

1.1	सम्प्रदाय की सेहत और सुरक्षा	जन समुह को आपनी सुरक्षा का पुरा ख्याल होता है । (प्रोजैक्ट के इन्चार्ज इस बात का ध्यान रखते है कि जन समुह को कोई नुक्सान न हो)	सभी कतरों को मापना और उन्हे कम करने की कोशि-ा करना । तकनीकी बातों के बारे में बतनान और परागमन कतार से सम्बन्धित भय को दूर करना । साधारण चित्रों को लोकल लोगों में बांटना । खतरे के समय में सतर्क रहने के लिए भूमि मालिको को ट्रेन करना । जन समुह को और मजदूरों को यह बताना कि आपका उनकी सुरक्षा की	स्हेत और सुरक्षा के खतरों से गांव वालों को अवगत करवाना और उन्हे सच्च के बारे में बनाना ।	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी ।

			फिक्र है ।		
2.1	़ाोर	आगे वाली कतार से कानों पर असर होना ।	़ाोर रूकना मुश्किल आई ऐस मार्क वाली चीजें प्रयोग करना तांकि बुरे मौसम में कम नुक्सान हो	ऐ डी एच पल एल की खरीददारी पोलिसी का भाग है भारी व-र्ाा और बरफ में देश रेख करना ।	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी ।
3.1	परियावरण (इकोलौजी)	खेतो को काट कर साफ करना ता कि उनका सम्पर्क परागमन तार से न हो	मशीनी व मजदूरों द्वारा पौधों को काट कर छोटा करना और किट नाशक दवाईयों का प्रयोग न करना । परागमन तारों का लटकना । हर मौसम में रूकने के लिए योजना बनाना ।	योजना के बारे में ऐ डी एच पी एल दॉव पर लगे लोगों से बातचीत करें	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र)
3.2		परागम तार के साथ टकराव को रोकना	दृ-टीकोण को बढाने के लिए निशान लगाना, पक्षी को सतर्क करना, पथ से	देखने के लिए जो यन्त्र लागाये गये हैं उन्हे हर 2-3 साल बाद बदले ।	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र)

			हठाने जैसी बस्तुओं को लगाया जाये व तार के टकराव से होने वादी दुर्घटना को रोका जाये ।		
4.1	बिजली पारगमन कतरों की याग्यता बढ़ाना	ज्यादा ृक्ति वाली पारमगन तारों से आम जन्ता को खतरा ।	थ्बजली पारगमन को एक तारीख से ुरू करना तथा सुरक्षा के नियमों के बारे में लोकल जन्ता को घो-ाणा सत्रोतो द्वारा अवगत करवाना । स्थाई जगह पर चेतावनी पटटीयां लगाना (खतरे के निशान वाले तखते) टावर के सभी सिरों पर न चडने वाले यन्त्र लगाना ।	हर 6 महीने बाद ऐ डी एच पी एल की सूची व नियमों के अनुसार तारों की देखा भाल व उन पर नजर बनाये रखना ।	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र)
5.1	बिजली चुम्बकीय क्षेत्र	सेहत पर होने वाले गुप्त असर के बार में	(आइ सी एल आई आर पी) नांन -	पारगमन तार में किसी भी प्रकार के बदलाव पर हर व-ा देश रेख	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने

		चिन्ता	आयोनाईजिक रेडियेशन प्रोटैक्शन जो अन्तरा-ट्रीय आयोग द्वारा निमार्ण किये गये है । उनके हिसब से आम जनता को गुप्त प्रदर्शन देना जो निदेर्श के स्तर पर हो ।	होनी चाहिए ।	वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी । तकनीकी क्षेत्र नेतृत्व
5.2		मजदूरों को अवगत करवाना	(आइ सी एल आई आर पी) नांन - आयोनाईजिक रेडियेशन प्रोटैक्शन जो अन्तरा-ट्रीय आयोग द्वारा निमार्ण किये गये है । उनके हिसब से आम जनता को परिचित करवाना जो निर्देशों के अनुसार हो ।	हर 6 महीने बाद देख रेख की जाये ।	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी ।

5.3		तर यन्त्र प्रणाली	बिजली धारा 2003 के अनुसार तार यन्त्र और शिल्प विज्ञान की निकासी करना ।	निमार्ण फेस के दौरान देख रेख करना	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी ।
6.1	जलने वादल बस्तू को संचय करना जंगल विभाग पारगमन कतार की उंचाई को बढ़ रहा है ।	गलियारे में जलने वाले पदार्थ या जंगल की बस्तुओं को गुप्त करक रखना ।	जलने वाल किसी भी पदार्थ को गलियारे में नहीं रखना एस एन वी 3.1 मे दिये गये तरक के हिसाब से लकडीयों को सुरक्षित उंचाई तक काटना	सारे गलियारे की 15 दिन में जांच पडताल	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र)
7.1	पारगमन कतार का भिडना । पारगमन इमारत (टावर) का गिरना । बाड और बरवादी / सब स्टेशनो पर आग	गुप्त विपत्ती	पारगमन कतारों को सहमति देने से पहले ऐ डी एच पी एल के कुशल कर्मचारियों द्वारा एक विस्त्रीत टी एल एम पी बनाना । बरवादी से बचने के	ऐ डी एच पी एल द्वारा टी एल डी एम पी को निश्चित समय पर पूरा करना । तीमाही कसरत करवाना तां कि डी एम पी द्वारा सामने लाई गई समस्याओं का समाधान डुडा जा सके । इ एम सी को नियन्त्रित ट्रेनिंग देना	नेतृत्व (बर्फ क्षेत्र) नेतृत्व (बर्फ न पडने वाला क्षेत्र) सुरक्षा अधिकारी । तकनीकी क्षेत्र नेतृत्व

			लिए बनाई गई याजना को अपनाना । डी एम पी द्वारा बनाये गये जानकारी देने के लिए नेटवर्क तथा संकट काल प्रबन्धक समुह को अपनाना (सैक्शन 7.4)	। सब स्टेशनों तथा पारगमन कतारों की वार्निक सुरक्षा का मुल्यांकन करना ।	

(निषकर्श) (निर्णय)

48. ई एस आई ऐ ने ऐ डी एच पी एल प्रोजैक्ट द्वारा आने वादी सारी वातावरण से सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए स्वीकृती दे दी है । समस्याये जो की निर्माण की बजह से और पारगमन कतार के सुचारू रूप से चलने पर होगी उन सभी को ध्यान में रखा गया है ।

49. इस प्रोजैक्ट द्वारा निर्माण और कार्यवाही के दौरान कुछ सामाजिक और वातावरण से सम्बन्धित बदलाव होंगे । निर्माण के समय पर जिन वातावरण बदलावों की सम्भावना है उनमें आस पास की सजा में खलवल कुडा निर्माण, यातायात, ृाोश कर बढ़ना और समाजिक बदलाव में फसल को नुक्सान होते है । आर्यवाही स्तर पर जो बदलाव होंगे उनमें पौधों की उपज को नुक्सान बिजली चुम्बर क्षेत्र, ृाोर का बढना और सामाजिक बदलाव में गलियारे में प्रतिबन्धित कार्य ृाामिल हैं ।

50. निर्माण और कार्यवाही स्तर पर बातावरण और सामाजिक प्रबन्धक योजना द्वारा कुछ सुझाव दिये गये है । जिन्हे हम प्रयोग कर सकते है, और प्रोजैक्ट की अभिनय के बारे में जान सकते है । ई एस आई ऐ की पढ़ाई और यह सुझाव और पबन्धक द्वारा दी गई सलाह की मदद से ऐ डी एच पी एल बातावरण सम्बन्धित और समाजिक तत्वों को अन्तरा-ट्रीय गणों से मिला सकता है । और आगे बड सकता है ।